

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

बड़ी रोड़, देवाली, पोस्ट बॉक्स नम्बर 161 उदयपुर फोन नम्बर 0294-2453686

Email - dcfwludz@gmail.com

क्रमांक: एफ.4()कार्मिक/उवसं/उदय/2023-2024/ 5911

दिनांक : 18/06/2025

—: विज्ञप्ति :-

इस कार्यालय अधीन पशुधन सहायक के 02 रिक्त (सामान्य श्रेणी के) पदों हेतु आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति किये जाने अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक की अवधि के लिये राशि रु. 26,300.00 (अक्षरे रुपये छब्बीस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभागीय वेबसाईट <https://forest.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं एवं कार्यालय समय में अन्तिम दिनांक से पूर्व कार्य दिवस तक इस कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मय मूल दरस्तावेज कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) चेटक सर्कल उदयपुर, के कार्यालय परिसर में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को 12:00 पी.एम तक जमा करवाना तथा व्यक्तिशः उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
वन्यजीव उदयपुर

आवेदन पत्र

पशुधन सहायक के पद पर (आवश्यक अस्थायी आधार पर) नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट
साइज का
फोटो

1. आवेदित जिले का नाम.....
2. आवेदक की श्रेणी (General/SC/ST/BC/MBC/EWS/महिला/विधवा/परित्यक्ता)
(नोट : रिक्त दोनों पद General Category के हैं)
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
4. पिता/पति का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
5. जन्म दिनांक दिनांक 11.07.2025 को आयु.(.....वर्ष.....माह.....दिन)
6. लिंग (महिला/पुरुष).....
7. जाति संवर्ग
8. शैक्षणिक विवरण

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12 th					
2	AHDP					

9. गृह जिला
10. स्थायी निवास का पता
11. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर/ई-मेल एड्रेस
12. 11.07.2025 को जीवित संतान की संख्या
13. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई सगस्त सूचनाएँ पूर्णतया सत्य है एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन जिला में पशुधन सहायक के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ।

निर्धारित शपथ-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज (मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के दो सेट संलग्न है)

संलग्न :- कुल पृष्ठ

दिनांक.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

शपथ-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु जाति.....

.....
निवासी.....

.....
जिला..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य है। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये हैं।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिये किसी भी न्यायलय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
4. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ, मैंने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है।
6. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी, ना ही स्थानांतरण के लिये पात्र रहूंगा/रहूंगी, ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

**आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर
पशुधन सहायकों की चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं आवश्यक शर्तें**

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
2. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
3. आवेदन की तिथि (11.07.2025 से पूर्व) को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) का नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी। जन्म दिनांक हेतु सैकण्डरी बोर्ड का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं, तथा डिप्लोमा)/जाति प्रमाण पत्र/राजस्थान राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र/(आवेदन की तिथि) की सत्यापित प्रतियाँ एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से के नहीं हो, पहचान हेतु फोटो पहचान पत्र (Driving Licence, आधार कार्ड, पारापोर्ट, अथवा वोटर आई.डी.) मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (स्व-प्रमाणित फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
5. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रुपये 26300/- प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वृद्धि/ वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी को उप वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर के अधीनस्थ पदस्थापन के अलावा अन्यत्र, अन्य जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
7. चयनित पशुधन सहायक को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबंध (Undertaking) दिया जाना आवश्यक होगा।
9. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना/ दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
10. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
11. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस अवधि में पद स्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
12. पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे, आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
13. प्रारंभिक रूप में आवश्यक अस्थाई आधार पर दी जाने वाली उक्त नियुक्तियाँ केवल तीन माह के लिए ही होंगी लेकिन विभाग द्वारा आवश्यक होने पर नियुक्ति अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
14. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता/लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।
15. आवेदनकर्ता यदि पूर्व में विभाग में पशुधन सहायक के पद कार्यरत रहा और इनकी सेवाये असंतोषप्रद रही है, तो वह भी इसके लिये पात्र नहीं होगा।
16. चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा। चयन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। चयन हेतु निर्धारित योग्यता एवं चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा:-
निर्धारित योग्यता - सीनियर सैकण्डरी एवं राजूवास से संबद्धता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा।
चयन का आधार-चयन का आधार पूर्णतया मैरिट होगा जो कि, सीनियर सैकण्डरी एवं पशुपालन डिप्लोमा का औसत (दशमलव के दो तक) होगा। समान मैरिट होने पर क्रमशः पहले पशुपालन डिप्लोमा के अधिक अंक (प्रतिशत) एवं तत्पश्चात सीनियर सैकण्डरी के अधिक अंक (प्रतिशत) को एवं उसके बाद जन्म दिनांक पूर्व की होने को वरीयता दी जाएगी।
16. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 1058 दि. 26.04.2023 के अनुसार निम्नानुसार रिक्त पदों पर रवीकृति पशु पालन विभाग द्वारा परपदों पर नियुक्ति /प्रतिनियुक्ति किए जाने की दिनांक अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक ही प्रभावी रहेगी।

जिला	आवश्यक अस्थायी आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों की प्रस्तावित संख्या
उदयपुर	02 पद सामान्य जाति श्रेणी (General Category)